रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2017/फाल्गुन 29, 1938
No. 891] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2017/PHALGUNA 29, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

का.आ. 891(अ).— प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2601 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

और, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश राज्य के जिले मिर्जापुर और सोनभद्र में 24° 27' 51" ''उ0 से 24° 52' 0.9" ''उ0 और 24° 38' 19.11"'' उ0 से 24° 39' 9.05"'' उ0 अक्षांश और 82° 20' 15.30" ''पू0 से 83° 08' 23.3" ''पू0 और 82° 44' 59.9"'' पू0 से 82° 45' 0.07"'' पू0 देशांतर के बीच अवस्थित है और 500.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।

और, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य काला हिरण (*एन्टिलोप करविकापरा*), रीछ (*मेलरसिस उरसिनस*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सांभर (*रुसा यूनीकलोर*), साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्पस बेंगालेंसिस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), बंदर, चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), और चिंकारा (*गजेला बेनेटी*) के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करना है। यहां पर कई जलचर और कई प्रकार के जलीय तथा स्थलीय पक्षी पाये जाते है। इस अभयारण्य में सभी मुख्य सरीसृपों का प्रतिनिधित्व है। जिनमें मोनीटर लिजार्ड (*वरानस स्पा.*), कोबरा (*ओफियोफैगस हन्ना*), सामान्य करैट (*बंगरस कैरुलेस*), रसेल वाइपर (*दबोइया*), रैट स्नेक (*टायस म्युकोसस*) तथा पायथन (*पायथन एसपी*) सम्मिलित हैं। स्वच्छ जल मगरमच्छ, बेलन तथा कर्मनाशा नदियों में पाये जाते हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

और, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तार क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र में इसके अक्षांश और देशांतर और जीपीएस निर्देशांकों के साथ उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जीपीएस निर्देशांकों के बिंदुओं का ब्यौरा उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 70 ग्रामों की सूची के साथ भूस्थानीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी। उक्त महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को सम्मिलित करने संबद्ध राज्य के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास ;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

प्रतिहस्ताक्षरित
Sk
(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, [illegible] क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, वाटिकाओं, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ सीमांकन करेगी। योजना के मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के द्वारा अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) भू-उपयोग.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा। मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7 के अंतर्गत दिया गया है:

(ग) परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

(ङ) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

रमेश चन्द्र (कटियार)

प्रतिहस्ताक्षरित

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, सोनभद्र

44

(2) प्राकृतिक जल-स्रोत.—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक है।

(3) पर्यटन.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे तथापि, जहां पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से परे है वहां, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वारोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) वायु प्रदूषण.—राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे।

(8) बहिःस्राव का निस्सारण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव का निस्सारण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषक आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
[illegible], लो०नि०वि०

प्रतिहस्ताक्षरित
Sk
(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

(i) पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में ठोस अपशिष्ट, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरणों में जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) यानीय यातायात.—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध विनियमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) औद्योगिक इकाईयां - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी।

(15) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण- पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का उपदर्शित होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

16. यदि वह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप.—पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

प्रतिहस्ताक्षरित

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देसी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा दी जाएगी।
4.	नई प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिःस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे: परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा।
8.	फार्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टे की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	कोई नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या सीमा तक पारिस्थितिक पर्यावरण क्रियाकलापों से संबद्ध पर्यटकों के अस्थाई आवास के सिवाय, जो नजदीक हो अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु, जहां पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर स

प्रतिहस्ताक्षरित

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

		ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) नए प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय लोग को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों को प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे, यदि कोई हो।
12.	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन पीने के पानी या स्थानीय लोगों की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियमित होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	रात्रि में वाणिज्यिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	प्रवासी प्रजातियों को बाधा।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पॉलिथीन थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्र में उपचारित बहिःस्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिःस्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और बहिःस्राव या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिःस्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्मुक्त को विनियमित किया जाएगा।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०
सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वायु और यानीय प्रदूषण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे।
26.	ध्वनि प्रदूषण।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
27.	खुले कुआं, बोर कुआं, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार होगा।
29.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ान जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी हेतु एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. आयुक्त, मिर्जापुर - अध्यक्ष
2. जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
3. जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर का एक प्रतिनिधि - सदस्य
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र या मिर्जापुर - सदस्य
5. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
[illegible] खण्ड, लो०नि०वि०
सोनभद्र

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible], सोनभद्र

6. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य

7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ – सदस्य

8. राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य– सदस्य

9. उप वन संरक्षक, कैमूर वन्यजीव खंड – सदस्य सचिव।

6. निबंधन और संदर्भ

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध IV पर उपाबद्ध प्ररूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(7) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(8) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/112/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिहस्ताक्षरित

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

उपाबंध I

जीपीएस निर्देशांकों के साथ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

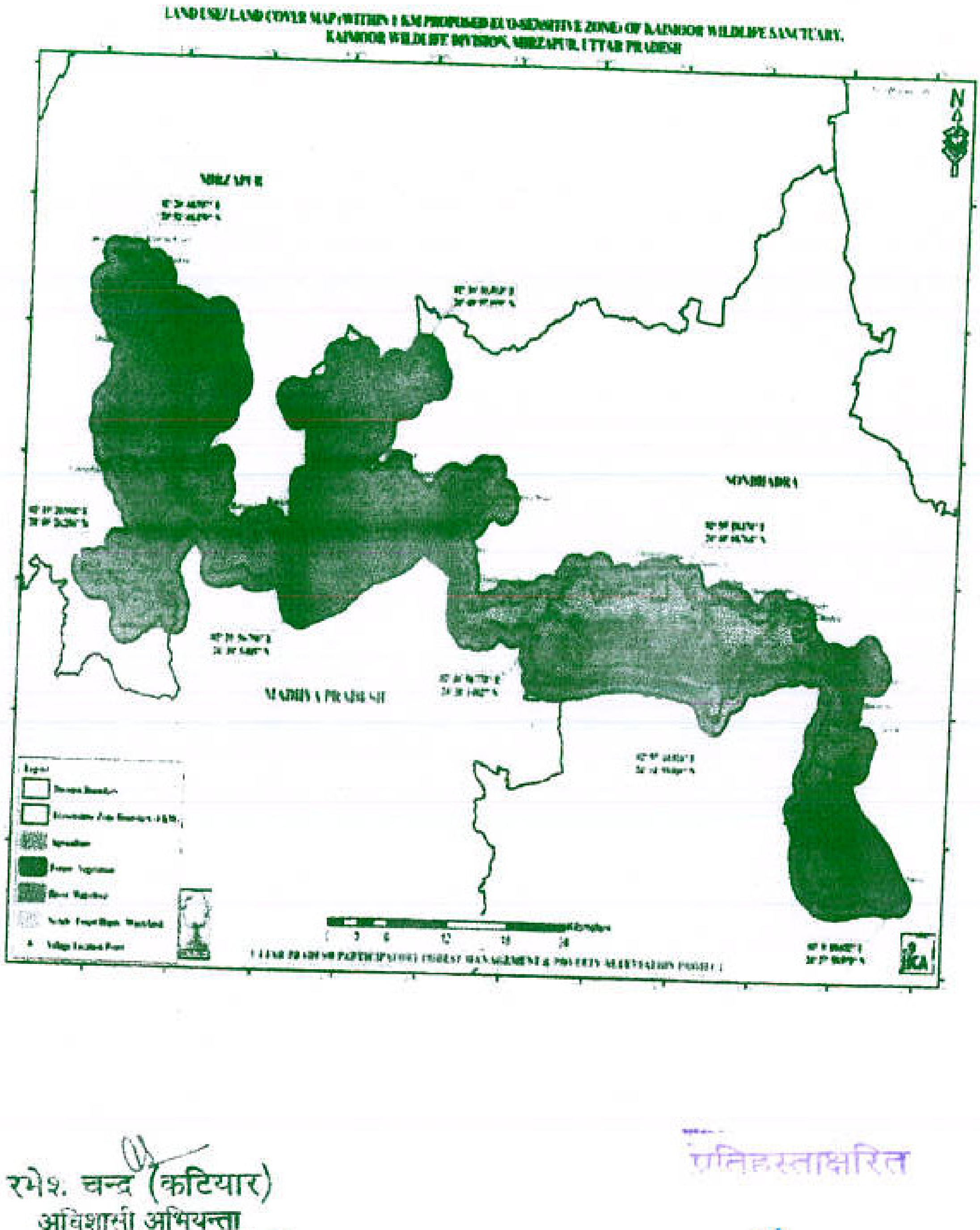

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०
सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

उपाबंध II

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सोनभद्र/मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के जीपीएस निर्देशांक

कैमूर वन्यजीव प्रभाग के सीमा निर्देशांक की सूची जिला-मिर्जापुर/सोनभद्र

आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	82° 20' 44.537" पू	24° 52' 44.470" उ
2	82° 22' 16.580" पू	24° 52' 34.479" उ
3	82° 23' 28.326" पू	24° 52' 8.018" उ
4	82° 24' 13.157" पू	24° 50' 59.364" उ
5	82° 25' 13.151" पू	24° 50' 42.154" उ
6	82° 26' 45.656" पू	24° 49' 57.996" उ
7	82° 27' 33.291" पू	24° 50' 16.672" उ
8	82° 27' 54.772" पू	24° 49' 42.345" उ
9	82° 28' 6.780" पू	24° 48' 38.153" उ
10	82° 28' 28.870" पू	24° 47' 38.856" उ
11	82° 27' 40.427" पू	24° 47' 27.681" उ
12	82° 27' 45.437" पू	24° 46' 48.522" उ
13	82° 26' 55.905" पू	24° 46' 21.543" उ
14	82° 26' 16.316" पू	24° 45' 46.975" उ
15	82° 25' 24.233" पू	24° 45' 34.990" उ
16	82° 25' 26.066" पू	24° 44' 15.919" उ
17	82° 27' 36.667" पू	24° 44' 42.123" उ
18	82° 27' 2.338" पू	24° 43' 49.206" उ
19	82° 26' 57.923" पू	24° 42' 42.671" उ
20	82° 27' 25.569" पू	24° 41' 50.811" उ
21	82° 27' 53.122" पू	24° 40' 53.125" उ
22	82° 28' 40.231" पू	24° 41' 49.249" उ
23	82° 29' 41.111" पू	24° 41' 36.996" उ
24	82° 30' 24.495" पू	24° 42' 24.825" उ
25	82° 30' 58.730" पू	24° 41' 38.734" उ
26	82° 31' 49.683" पू	24° 41' 49.014" उ
27	82° 33' 0.430" पू	24° 41' 24.989" उ
28	82° 32' 42.146" पू	24° 42' 33.411" उ
29	82° 32' 20.913" पू	24° 43' 24.388" उ
30	82° 33' 2.388" पू	24° 44' 3.070" उ
31	82° 33' 14.676" पू	24° 44' 38.724" उ
32	82° 33' 17.264" पू	24° 45' 40.273" उ

रमेश चन्द्र (कटियार)

प्रतिहस्ताक्षरित

(संजीव कुमार सिंह)

33	82° 32' 47.958" पू	24° 46' 42.152" उ
34	82° 31' 52.286" पू	24° 46' 36.068" उ
35	82° 31' 22.660" पू	24° 47' 12.983" उ
36	82° 32' 55.661" पू	24° 47' 15.357" उ
37	82° 33' 59.666" पू	24° 47' 31.333" उ
38	82° 34' 31.105" पू	24° 48' 6.783" उ
39	82° 34' 16.124" पू	24° 48' 47.714" उ
40	82° 36' 0.136" पू	24° 48' 54.100" उ
41	82° 36' 7.686" पू	24° 48' 3.261" उ
42	82° 36' 41.357" पू	24° 47' 58.739" उ
43	82° 37' 12.443" पू	24° 48' 5.892" उ
44	82° 37' 52.841" पू	24° 48' 27.919" उ
45	82° 38' 49.286" पू	24° 48' 22.308" उ
46	82° 38' 33.513" पू	24° 48' 57.599" उ
47	82° 40' 6.250" पू	24° 48' 51.410" उ
48	82° 40' 19.531" पू	24° 48' 22.138" उ
49	82° 40' 37.447" पू	24° 47' 58.641" उ
50	82° 39' 50.677" पू	24° 47' 37.529" उ
51	82° 39' 6.909" पू	24° 47' 38.350" उ
52	82° 38' 47.364" पू	24° 47' 5.778" उ
53	82° 37' 29.880" पू	24° 47' 4.961" उ
54	82° 37' 19.891" पू	24° 45' 57.670" उ
55	82° 36' 22.884" पू	24° 45' 18.344" उ
56	82° 35' 27.963" पू	24° 44' 58.980" उ
57	82° 35' 21.777" पू	24° 44' 2.442" उ
58	82° 36' 17.004" पू	24° 43' 35.227" उ
59	82° 36' 31.258" पू	24° 42' 8.344" उ
60	82° 37' 1.012" पू	24° 41' 35.764" उ
61	82° 38' 19.353" पू	24° 42' 46.474" उ
62	82° 37' 19.042" पू	24° 43' 42.048" उ
63	82° 38' 18.059" पू	24° 44' 36.324" उ
64	82° 39' 7.483" पू	24° 43' 44.192" उ
65	82° 38' 32.421" पू	24° 43' 10.462" उ
66	82° 40' 40.824" पू	24° 43' 7.376" उ
67	82° 41' 16.582" पू	24° 43' 24.448" उ
68	82° 41' 29.064" पू	24° 44' 11.736" उ

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

69	82° 42' 18.027" पू	24° 43' 54.540" उ
70	82° 43' 33.202" पू	24° 44' 28.626" उ
71	82° 43' 3.537" पू	24° 43' 51.524" उ
72	82° 43' 53.256" पू	24° 43' 23.494" उ
73	82° 44' 44.110" पू	24° 43' 12.088" उ
74	82° 43' 19.132" पू	24° 42' 53.101" उ
75	82° 42' 26.787" पू	24° 42' 22.080" उ
76	82° 42' 7.243" पू	24° 41' 51.516" उ
77	82° 42' 13.783" पू	24° 40' 57.356" उ
78	82° 42' 37.685" पू	24° 40' 6.328" उ
79	82° 42' 42.342" पू	24° 39' 7.198" उ
80	82° 43' 33.330" पू	24° 39' 7.446" उ
81	82° 44' 39.057" पू	24° 39' 20.000" उ
82	82° 45' 39.173" पू	24° 39' 21.795" उ
83	82° 47' 24.566" पू	24° 39' 6.405" उ
84	82° 48' 15.098" पू	24° 39' 38.254" उ
85	82° 49' 3.387" पू	24° 40' 43.400" उ
86	82° 50' 23.281" पू	24° 39' 25.047" उ
87	82° 52' 16.527" पू	24° 39' 48.609" उ
88	82° 54' 3.742" पू	24° 39' 33.951" उ
89	82° 55' 18.174" पू	24° 40' 18.764" उ
90	82° 57' 45.010" पू	24° 39' 38.097" उ
91	83° 0' 8.900" पू	24° 38' 41.783" उ
92	83° 2' 20.305" पू	24° 39' 1.847" उ
93	83° 3' 27.460" पू	24° 37' 53.342" उ
94	83° 3' 28.639" पू	24° 37' 15.080" उ
95	83° 5' 58.582" पू	24° 37' 12.262" उ
96	83° 7' 21.512" पू	24° 37' 7.659" उ
97	83° 6' 7.959" पू	24° 36' 22.984" उ
98	83° 5' 44.489" पू	24° 34' 45.090" उ
99	83° 4' 33.404" पू	24° 34' 37.755" उ
100	83° 6' 48.259" पू	24° 33' 55.945" उ
101	83° 6' 30.339" पू	24° 33' 17.926" उ
102	83° 5' 21.830" पू	24° 33' 0.577" उ
103	83° 6' 6.490" पू	24° 31' 18.793" उ
104	83° 8' 33.276" पू	24° 28' 58.287" उ

प्रतिहस्ताक्षरित

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०
सोनभद्र

105	83° 9' 18.622" पू	24° 27' 58.573" उ
106	83° 7' 5.022" पू	24° 27' 59.631" उ
107	83° 4' 35.861" पू	24° 27' 54.214" उ
108	83° 3' 25.626" पू	24° 28' 35.110" उ
109	83° 3' 9.736" पू	24° 30' 0.189" उ
110	83° 2' 36.645" पू	24° 31' 30.492" उ
111	83° 3' 17.596" पू	24° 32' 28.174" उ
112	83° 3' 46.634" पू	24° 34' 15.103" उ
113	83° 4' 12.634" पू	24° 34' 47.193" उ
114	83° 4' 55.976" पू	24° 36' 17.279" उ
115	83° 3' 31.884" पू	24° 36' 50.052" उ
116	83° 1' 35.436" पू	24° 36' 52.465" उ
117	82° 59' 9.511" पू	24° 36' 32.780" उ
118	82° 57' 44.324" पू	24° 34' 59.049" उ
119	82° 47' 54.579" पू	24° 36' 57.076" उ
120	82° 46' 51.774" पू	24° 38' 1.062" उ
121	82° 42' 13.386" पू	24° 40' 27.406" उ
122	82° 39' 49.624" पू	24° 41' 44.738" उ
123	82° 38' 30.686" पू	24° 40' 58.178" उ
124	82° 35' 47.004" पू	24° 40' 5.857" उ
125	82° 33' 8.706" पू	24° 39' 4.275" उ
126	82° 31' 56.796" पू	24° 39' 5.845" उ
127	82° 31' 31.437" पू	24° 40' 31.812" उ
128	82° 30' 44.037" पू	24° 40' 28.131" उ
129	82° 29' 40.098" पू	24° 40' 12.126" उ
130	82° 28' 18.365" पू	24° 40' 31.243" उ
131	82° 27' 9.131" पू	24° 40' 29.420" उ
132	82° 26' 30.962" पू	24° 41' 55.499" उ
133	82° 25' 22.462" पू	24° 42' 59.396" उ
134	82° 24' 14.784" पू	24° 42' 35.902" उ
135	82° 24' 19.624" पू	24° 41' 40.102" उ
136	82° 25' 50.196" पू	24° 42' 15.029" उ
137	82° 24' 59.461" पू	24° 41' 18.924" उ
138	82° 23' 58.957" पू	24° 40' 27.916" उ
139	82° 25' 1.722" पू	24° 39' 18.576" उ
140	82° 24' 26.130" पू	24° 39' 9.421" उ

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

(संजीव कुमार सिंह)

141	82° 22' 57.459" पू	24° 38' 37.790" उ
142	82° 22' 35.100" पू	24° 39' 14.610" उ
143	82° 23' 19.014" पू	24° 39' 33.346" उ
144	82° 21' 52.217" पू	24° 39' 6.680" उ
145	82° 21' 23.569" पू	24° 39' 51.876" उ
146	82° 19' 20.994" पू	24° 40' 26.256" उ
147	82° 20' 22.175" पू	24° 40' 41.525" उ
148	82° 21' 50.029" पू	24° 39' 58.630" उ
149	82° 22' 52.912" पू	24° 40' 1.048" उ
150	82° 21' 25.461" पू	24° 41' 22.565" उ
151	82° 23' 18.730" पू	24° 40' 29.936" उ
152	82° 23' 21.868" पू	24° 41' 17.338" उ
153	82° 22' 38.604" पू	24° 42' 6.002" उ
154	82° 21' 59.969" पू	24° 43' 12.984" उ
155	82° 21' 8.079" पू	24° 44' 4.162" उ
156	82° 22' 24.090" पू	24° 44' 39.253" उ
157	82° 23' 19.308" पू	24° 44' 6.291" उ
158	82° 24' 11.756" पू	24° 43' 30.852" उ
159	82° 24' 5.065" पू	24° 44' 24.172" उ
160	82° 23' 26.416" पू	24° 45' 11.964" उ
161	82° 21' 40.745" पू	24° 45' 15.431" उ
162	82° 20' 32.235" पू	24° 45' 0.239" उ
163	82° 20' 11.114" पू	24° 46' 10.329" उ
164	82° 21' 0.722" पू	24° 46' 46.499" उ
165	82° 22' 48.661" पू	24° 47' 21.297" उ
166	82° 22' 3.044" पू	24° 48' 40.770" उ
167	82° 21' 27.205" पू	24° 49' 38.516" उ
168	82° 21' 9.422" पू	24° 50' 20.263" उ
169	82° 20' 17.196" पू	24° 51' 22.333" उ
170	82° 20' 15.599" पू	24° 51' 42.319" उ
171	82° 21' 21.974" पू	24° 51' 24.245" उ
172	82° 21' 43.104" पू	24° 51' 38.199" उ
173	82° 21' 57.056" पू	24° 52' 3.036" उ

प्रतिहस्ताक्षरित

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता
सो०नि०वि०
सोनभद्र

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र

उपाबंध III

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सोनभद्र/मिर्जापुर के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने-वाले ग्रामों की सूची और इसके साथ भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	दिशा	निर्देशांक	
			उत्तरी	पूर्वी
1.	ससनाई	पूर्व	24°28'27.52"	83°6'40.92"
2.	माकरबारी	पूर्व	24°34'47.5"	83°6'25.6"
3.	नीवा	पूर्व	24°35'20.18"	83°7'25.97"
4.	बिरानकुआ	पूर्व	24°35'52.33"	83°7'39.9"
5.	भाटाबारी	पश्चिम	24°48'47.52"	82°21'22.86"
6.	हुसिया	पश्चिम	24°49'1.34"	82°20'36.17"
7.	दिमौना	पश्चिम	24°48'7.63"	82°21'32.72"
8.	बरबोंही	पश्चिम	24°46'34.39"	82°21'29.52"
9.	बरहुला	पश्चिम	24°46'1.31"	82°20'57.01"
10.	बकवा	पश्चिम	24°43'28.16"	82°21'46.58"
11.	औरा	पश्चिम	24°43'43.07"	82°21'29.41"
12.	चमोली	पश्चिम	24°42'30.89"	82°21'50.04"
13.	गुरमी	पश्चिम	24°45'18.29"	82°20.43.62"
14.	कचनरकर	पश्चिम	24°41'19"	82°22'30.5"
15.	खामरहारिया कला	पश्चिम	24°44'15.36"	82°20'57.48"
16.	सिल्हाना	पश्चिम	24°40'2.78"	82°22'33.1"
17.	चोथा	पश्चिम	24°42'56.92"	82°21'48.24"
18.	फुलिबारी	पश्चिम	24°40'19.7"	82°21'1.3"
19.	मकरिया	पश्चिम	24°39'53.46"	82°20'17.45"
20.	केदवान	उत्तर	24°51'28.82"	82°24'28.84"
21.	बरिहाव खुर्द	उत्तर	24°51'40.75"	82°32'32.03"
22.	देवघाटा पाण्डेय	उत्तर	24°52'17.87"	82°21'58.68"
23.	कनहारी	उत्तर	24°43'57.94"	82°36'20.64"
24.	सेमरा कला	उत्तर	24°43'37.99"	82°36'3.6"
25.	सेमरा खुर्द	उत्तर	24°44'28.36"	82°36'12.6"
26.	मुखा	उत्तर	24°44'4.81"	82°42'26.57"
27.	परमिया	उत्तर	24°44'4.63"	82°41'35.52"
28.	परासौना	उत्तर	24°42'29.16"	82°35'23.06"
29.	बीरखुर्द	उत्तर	24°43'54.88"	82°38'38.72"
30.	बारोंधी	उत्तर	24°44'9.38"	82°42'25.06"
31.	घुवास	उत्तर	24°42'25.7"	82°39'52.34"
32.	पोंगिया	उत्तर	24°43'52.36"	82°38'57.8"

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिहस्ताक्षरित
(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

33.	देवगढ़	उत्तर	24°39'13.25"	82°44'15.18"
34.	मानीमाला मिला	उत्तर	24°43'33.17"	82°44'11.18"
35.	बार	उत्तर	24°41'18.08"	82°43'27.08"
36.	मोहिनी	उत्तर	24°43'31.87"	82°43'44.8"
37.	वरदिया	उत्तर	24°40'18.54"	82°43'52.25"
38.	गुरुवाम	उत्तर	24°39'52.22"	82°46'57.18"
39.	सिलहात	उत्तर	24°40'25.93"	82°56'11.94
40.	मुसरवारा	उत्तर	24°40'31.15"	82°49'15.75"
41.	तेंदुई	उत्तर	24°40'38.42"	82°49'20.75"
42.	घोमवारी	उत्तर	24°40'11.21"	82°48'30.1"
43.	बिरीहावा	उत्तर	24°39'58.03"	82°48'52.27"
44.	गरमा	उत्तर	24°40'46.02"	82°49'41.09"
45.	घोमहार	उत्तर	24°40'27.58"	82°53'59.96"
46.	खेबेरदीह	उत्तर	24°40'42.24"	82°53'50.32"
47.	दुबौलिया	उत्तर	24°40.19.38"	82°56'7.3"
48.	कुशोली कालोनी	उत्तर	24°40'25.72"	82°57'13.18"
49.	रघुनाथपुर	उत्तर	24°40'25.5"	82°57'45.76"
50.	बहुहार	उत्तर	24°39'51.34"	82°57'27.32"
51.	बसौली	उत्तर	24°39'54.76"	83°1'7.43"
52.	बमीली	उत्तर	24°39'28.91"	82°59'21.55"
53.	बघौरी	उत्तर	24°39'51.91"	82°58'59.16"
54.	निताली	उत्तर	24°39'47.27"	82°59'19.21"
55.	खापड़ा	उत्तर	24°39'7.99"	83°3'21.85"
56.	मोखी	उत्तर	24°38'57.55"	83°3'14.62"
57.	चोपान	दक्षिण	24°31'5.52"	83°2'9.38"
58.	बरगावा	दक्षिण	24°36'37.04"	82°54'32.8"
59.	मैदान	दक्षिण	24°36'11.92"	82°53'8.81"
60.	घटावर	दक्षिण	24°36'14.4"	82°50'35.56"
61.	सेमिया	दक्षिण	24°36'32.47"	82°48'43.56"
62.	खिटीकपुरवा	दक्षिण	24°35'49.42"	82°49'32.41"
63.	कुदारी	दक्षिण	24°35'55.1"	82°47'1.79"
64.	तीना	दक्षिण	24°38'45.46"	82°21'35.58"
65.	पेदारिया	दक्षिण	24°38'29.76"	82°22'37.38"
66.	पौधी रामपुर	दक्षिण	24°37'50.02"	82°22'2.75"
67.	माटवार	दक्षिण	24°44'25.84"	82°28'53.98"
68.	वेनाही	दक्षिण	24°43'31.73"	82°30'1.62"
69.	कुम्भीयारा	दक्षिण	24°43'20.96"	82°30'36.83"
70.	नदाना	दक्षिण	24°43'34.32"	82°30'48.24"

रमेश चन्द्र (कलियार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिहस्ताक्षरित
(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

उपाबंध- IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2017

S.O. 891(E).—**WHEREAS**, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2601(E), dated 22nd September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

WHEREAS Kaimur Wild Life Sanctuary situated in the Mirzapur and Sonebhadra districts of Uttar Pradesh lying between 24°27'51"N to 24°52'0.9"N and 24°38'19.11"N to 24°39'9.05"N latitudes and 82°20'15.30"E to 83°08'23.3"E and 82°44'59.9"E to 82°45'0.07"E longitudes is spread over an area of 500.73 Sq. km.

AND WHEREAS, Kaimur Wild Life Sanctuary offers natural habitat for Black Bucks (*Antilope cervicapra*), Sloth Bears (*Melursus ursinus*), Wild Boars (*Sus scrofa*), Striped Hyena (*Hyaena hyaena*), Sambhar (*Rusa unicolor*), Pangolin (*Manis crassicaudata*), Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), Jackals (*Canis aureus*), Apes., Spotted Deer (*Axis axis*) and Chinkara (*Gazella bennettii*). There are a number of water bodies and a number of species of land and water birds. All the major orders of Reptilia are represented in the Sanctuary. These include the Monitor Lizard (*Varanus sp.*), Cobra (*Ophiophagus Hannah*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Russell's Viper (*Daboia*), Rat Snake (*Ptyas/Panthrophis obsoletus*) and Pythons (*Python sp*). Fresh water crocodiles are found in the Belan and Bakhar rivers.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kaimur Wildlife Sanctuary

प्रतिहस्ताक्षरित

रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशासी अभियन्ता

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी